



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27596

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1873 वर्ष 2026

मिथिलेश देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बृजेश कुमार, लोक नाथ शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर, उन्हें पांचवें प्रत्यर्थी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, कौशाम्बी को पक्षकार प्रत्यर्थी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री लोक नाथ शुक्ला और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह 06.07.2006 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में तैनात है और वह मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति चाहती है।
4. वर्तमान याचिका में प्रत्यर्थियों को दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता को आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और फिर मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नत किया जाना है। मामला जो भी हो, याचिकाकर्ता के दावे पर प्रथम दृष्टया पांचवें प्रत्यर्थी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, कौशाम्बी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है।
6. ऐसे निवेदन पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे गरिमापूर्वक स्वीकार करते हैं।
7. विरोधी पक्षकारों के तर्कों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता पांचवें प्रत्यर्थी के समक्ष रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे, जो दो सप्ताह की अवधि के भीतर इसे प्राप्त होने पर, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर सख्ती से कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की कार्यवाही करेंगे। यदि पांचवां प्रत्यर्थी इस राय का है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें प्रेषित कर दिए जाएंगे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का निर्णय प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना किया गया है। इस प्रकार, इस आदेश के पारित होने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि यह न्यायालय मामले के गुण-दोष में गया है।

9. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

9 फरवरी, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"